

दुर्दात अपराधी हासिम बाबा के नाम से लाख रु० 10 की रंगदारी मांगने वाला एवं रंगदारी न देने पर परिवार सहित जान से मारने धमकी देने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना मे प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद ।

दिनांक 18.06.2022

**कार्यवाही:-** जनपद गाजियाबाद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल नेतृत्व में पुलिस उपाधीक्षक प्रभारी निरीक्षक थाना/साहिबाबाद की टीम द्वारा दिनांक:17 .06.2022 समय 17.30 बजे आर०के० श्रीवास्तव कार्यालय राजेन्द्र नगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद से अभियुक्त अनिल कुमार पुत्र राघव सिंह उम्र 36 वर्ष नि० म०न० 44 अशोक वाटिका गरिमा गार्डन थाना टीलामोड़ गाजियाबाद को मय 7140/- रुपये व घटना मे प्रयुक्त 1 अदद मोबाइल फोन रेडमी 9 ब्लू कलर एंड्राइड मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया ।



**अपराध कारित करने का तरीका:-**

अभियुक्त अनिल कुमार राघव द्वारा पूछताछ मे बताया कि मेरी पत्नी प्रियंका बीमार चल रही है, जिसका इलाज जीटीबी हास्पिटल में चल रहा है ,उसके इलाज के खर्चे के लिए मुझे रुपए की आवश्यकता थी जबकि मेरी तनखाह बहुत कम है, मेरी तनख्याव कंप्यूटर आपरेटर के पद पर 13500 रुपए प्रति माह मिलते हैं, जिससे घर का खर्चा नहीं चल पाता तथा इलाज के लिए पैसे बिल्कुल नहीं थे, इस कारण मैंने कुछ दिन पहले अपने कंपनी के मालिक आर०के० श्रीवास्तव जी से एडवांस 40000 रुपए की मांग की थी परंतु उन्होंने देने से मना कर दिया तभी घटना के 5-6 दिन पहले ही उन्होंने कंपनी में हम सब लोगो को बताया था कि उनके मार्च महीने में उनके खाते से जो 560000 रुपए निकल गये थे, जिसका उन्होंने मुकदमा लिखवाया था वह पैसे पुनः खाते में वापस आ गये थे यह बात मैं भली भांति जानता था कि इस समय इनके खाते में लगभग 5-6 लाख रुपए हैं फिर मैंने पैसे प्राप्त करने का दूसरा तरीका अपनाया मैंने

गूगल प्लेस्टोर से SECURE VPN नाम का एक सफ्टवेयरएप अपन/े एंड्राइड मोबाइल जिसका IMEI NO866191050365375 / 866191050365386 में डाउनलोड किया तथा जिसमें मो0न0 का सिम 9560173183 / 7835975350 रेडमी 9 ब्लू कलर का है जो मुझसे आपको मिला है इस पर मैंने SECURE VPN एप डाउनलोड किया जिससे मेरा ओरिजनल VPN की जगह टेम्परेरी FAKE VPN शो होने लगता था, फिर मैंने उसी फोन में हाशिम बाबा गैंग के नाम से मेल आईडी hashimbabaganggmail.com मेल आईडी बनाकर अपने कंपनी के मेल supercalibrationgmail.com पर 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी और फिरौती ना देने पर आर0 के0 श्रीवास्तव को जान से मारने की धमकी दी। मेल करते समय मैंने आर0 के0 श्रीवास्तव की एक फोटो जो मैंने उनके फेसबुक अकाउंट से निकाली थी उसे भी साथ में सेंड किया था जिससे कि उसे भय व वास्तविकता का आभास होता रहे हासिम बाबा गैंग के नाम की मेल आईडी बनाने का उद्देश्य इतना था कि मैंने गूगल से उसके बारे में सर्च किया था और मैं जान गया था कि वह दिल्ली एनसीआर का एक बड़ा गैंगस्टर है जिसका काम रंगदारी बसूलना व न देने पर जान से मार देना था जिसके बारे में पुलिस अच्छे से परिचित है। मैंने पहली मेल दिनांक 11/06/2022 को भेजी थी और इसी दिन ही मैंने मेल आईडी बनाई दूसरी मेल मैंने 12/06/2022 को भेजी थी तथा तीसरी मेल मैंने 14/06/2022 को भेजी थी और अगली मेल मैंने 16/06/2022 को भेजी थी। आर0के0 श्रीवास्तव जब एफआईआर लिखवाने गये तो प्रार्थना पत्र मेरे द्वारा ही टाइप किया गया था तथा जब उन्हें थाने से सुरक्षा मिली तो उसकी भी मुझे जानकारी थी तथा उनकी हर गतिविधि से मैं परिचित था क्योंकि कि ऑफिस में उनके बगल में ही मेरी सीट थी। अभियुक्त से बरामद मो0फोन रेडमी 9 ब्लू कलर का जिसका IMEI NO866191050365375 / 866191050365386 तथा जिसमें मो0न0 9560173183 / 7835975350 का सिम पड़ा है को खोलकर देखा गया तो मोबाइल के प्रथम पृष्ठ पर ही मेल आईकान चेक किया तो उसमें हाशिम बाबा गैंग की मेल आईडी ओपन थी तथा VPN के एड्रेस को छिपाने के लिए उसने SECURE VPN नाम से एक एप भी डाउनलोड कर रखा था

#### **नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-**

अनिल कुमार पुत्र राघव सिंह उम्र 36 वर्ष नि0 म0न0 44 अशोक वाटिका गरिमा गार्डन थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र वर्ष 36

#### **अभियुक्त का अपराधिक इतिहास**

मु0अ0सं 868/2022 धारा धारा 386 भादवि व 66 आई0टी0 एक्ट0

#### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

निरी अपराध अखिलेश कुमार 0मिश्र

वकरतार सिंह 030नि0

उश्री रामबीर सिंह 0नि0

हैऋषि कुमार 0का0

का0 3879 सौरभ कुमार

### बरामदगी का विवरण

1.मो0फोन रेडमी 9 ब्लू कलर घटना मे प्रयुक्त संबंधित मु 0अ0स0868/2022 धारा धारा 386 भादवि व 66 आई0टी0 एक्ट0

## मसूरी पुलिस द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले 02 शातिर अपराधी मय 03 किलो 800 ग्राम अवैध गांजा सहित गिरफ्तार

दिनांक:- 18.06.22

**कार्यवाही:-** श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद-गाजियाबाद श्री मुनिराज द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डा0 श्री ईरज राजा के कुशल निर्देशन तथा सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर श्री आकाश पटेल के पर्यवेक्षण में दि0 18.06.22 को प्रभारी निरीक्षक रविन्द्र चन्द्र पन्त थाना मसूरी गा0बाद व उनकी टीम को उस समय सफलता मिली जब दौराने गस्त / चैकिंग मुखबिर खास की सूचना पर उ0नि0 डा0 रामसेवक व का0 2596 रोहित कुमार व रि0का0 301 शाहरुख खान द्वारा नशीले पदार्थों की अवैध रूप से तस्करी करने वाले शातिर अपराधी 1-आसिफ उर्फ गुल्लु पुत्र अकबर निवासी मौ0 भडभूजो वाली गली मौ0 दसबिसा डासना थाना मसूरी गा0बाद उम्र-28 वर्ष 2-यामीन पुत्र आस मौहम्मद निवासी मौ0 बाजीग्रान डासना थाना मसूरी गा0बाद उम्र-30 वर्ष को काँठ की पुलिया डासना से कुल 03 किलो 800 ग्राम नाजायज गांजा सहित समय करीब 01.55 बजे गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना मसूरी पर मु0अ0सं0 436/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम आसिफ उर्फ गुल्लु उपरोक्त व मु0अ0सं0-437/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम यामीन उपरोक्त पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**अपराध करने का तरीका –** अभियुक्तगण आर्थिक व भौतिक लाभ अर्जित करने हेतु गांजा बेचने का काम करता है। दिनांक 18.06.22 को अभियुक्त 1-आसिफ उर्फ गुल्लु व 2- यामीन उपरोक्त को कुल 03 किलो 800 ग्राम नाजायज गांजा के साथ दौराने चैकिंग काँठ की पुलिया डासना से उ0नि0 श्री डा0 रामसेवक मय टीम द्वारा समय लगभग 01.55 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त से पूछताछ के आधार पर गांजा सप्लाई करने वालो को चिन्हित कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### नाम पता अभियुक्त-

1-आसिफ उर्फ गुल्लु पुत्र अकबर निवासी मौ0 भडभूजो वाली गली मौ0 दसबिसा डासना थाना मसूरी गा0बाद उम्र-28 वर्ष

2-यामीन पुत्र आस मौहम्मद निवासी मौ0 बाजीग्रान डासना थाना मसूरी गा0बाद उम्र-30 वर्ष

### बरामदगी का विवरण:-

(1) अभियुक्त आसिफ उर्फ गुल्लु से -01 किलो 790 ग्राम नाजायज गांजा

(2) अभियुक्त यामीन से 02 किलो 30 ग्राम नाजायज गांजा

### अपराधिक इतिहास अभियुक्त आसिफ उर्फ गुल्लु –

1. मु0अ0सं0-436/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मसूरी
2. मु0अ0सं0-164/22 धारा 13 जी एक्ट थाना मसूरी
3. मु0अ0सं0-724/19 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मसूरी

4. मु0अ0स0-800/19 धारा 13 जी एक्ट थाना मसूरी

**अपराधिक इतिहास अभियुक्त यामीन –**

1. मु0अ0स0-437/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मसूरी

**गिरफ्तारी / पर्यवेक्षण करने वाली टीम –**

- (1) उ0नि0 डा0 रामसेवक
- (2) का0 2596 रोहित कुमार
- (3) रि0का0 301 शाहरुख खान

**थाना लिंकरोड जनपद गाजियाबाद पुलिस द्वारा 01 शातिर किस्म का अभियुक्त 01 अदद चाकू के साथ गिरफ्तार ।**

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित अपराधियों व तस्करो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ट्रांस हिण्डन महोदय के निर्देशन में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी साहिबाबाद महोदय के सफल पर्यवेक्षण में दिनांक 18.06.2022 को थाना लिंक रोड पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान अभि0 प्रदीप पुत्र पप्पू नि0 झुग्गी न0-482 कल्याणपुरी दिल्ली को मजार के पास महाराजपुर से एक अदद चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया।

**नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-**

1. प्रदीप पुत्र पप्पू निवासी झुग्गी न0-482 कल्याणपुरी दिल्ली ।

**गिरफ्तारी घटनास्थल**

मजार के पास महाराजपुर  
दिनांक 18.06.2022 समय 10.20 बजे

**बरामदगी का विवरण –**

1. 01 अदद चाकू

**आपराधिक इतिहास / पंजीकृत अभियोग का विवरण –**

1. मु0अ0सं0 221/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना लिंक रोड गाजियाबाद

**गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम-**

उ0नि0 प्रताप सिंह तोमर  
है0का0 योगेन्द्र

## **थाना टीलामोड़ की पुलिस टीम द्वारा दो अभियुक्तों को 2200 ग्राम नाजायज गांजा सहित रफ्तार किया गया ।**

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध नियंत्रण के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय के निर्देशन में श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ के पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में थाना टीला मोड़ पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से अलग अलग 1100 – 1100 ग्राम गांजा कुल 2200 ग्राम नाजायज गांजा बरामद हुआ ।

दिनांक 18/06/2022 को रात्रि समय करीब 00.50 बजे कबाड के गौदाम के पास सोनिया विहार रोड से गस्त व चैकिंग के दौरान थाना पुलिस टीम द्वारा 02 अभियुक्तगण क्रमश (1) इमादुल पुत्र स्व० अशरफ अली नि० ई-44/ए/507 नई सीमा पुरी थाना सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 40 वर्ष (2) मादुल पुत्र सोनामिया नि० झुग्गी झौपडी भारत गैस प्लांट के सामने टीला मोड़ गा०बाद मूल नि० ग्राम मौजपुर घाट थाना फरक्का मुर्शिदाबाद (पश्चिमी बंगाल) उम्र करीब 45 वर्ष जिनके कब्जे से अलग अलग 1100 – 1100 ग्राम गांजा कुल 2200 ग्राम नाजायज गांजा बरामद हुआ । जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु०अ०सं० 280/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम इमादुल मु०अ०सं० 281/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम मादुल उपरोक्त पंजीकृत किया गया है ।

### **नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-**

- (1) इमादुल पुत्र स्व० अशरफ अली नि० ई-44/ए/507 नई सीमा पुरी थाना सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 40 वर्ष
- (2) मादुल पुत्र सोनामिया नि० झुग्गी झौपडी भारत गैस प्लांट के सामने टीला मोड़ गा०बाद मूल नि० ग्राम मौजपुर घाट थाना फरक्का मुर्शिदाबाद (पश्चिमी बंगाल) उम्र करीब 45 वर्ष

### **बरामदगी का विवरण –**

- 1- 1100 ग्राम गांजा नाजायज अभि० इमादुल से
- 2- 1100 ग्राम गांजा नाजायज अभि० मादुल से

### **अपराधिक इतिहास अभियुक्त**

- 1- मु०अ०सं० 280/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम इमादुल थाना टीला मोड़
- 2- मु०अ०सं० 281/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम मादुल थाना टीला मोड़ अभि० के अन्य अपराधिक इतिहास को ज्ञात किया जा रहा है ।

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1. उ०नि०श्री प्रवीन कुमार थाना टीला मोड़ गाजियाबाद
2. हेका० 1679 दिनेश कुमार थाना टीला मोड़ गाजियाबाद

3. कां0 1051 अवलेश मलिक थाना टीला मोड गाजियाबाद
- 4.

**दिनांक 18.06.22 थाना मोदीनगर पर**  
**एक अभियुक्त मय अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार**

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री मुनिराज जी महोदय के आदेशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉ० ईरज रजा महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी मोदीनगर श्री सुनील कुमार सिंह महोदय के निर्देशन एवं प्रभारी निरीक्षक मोदीनगर के नेतृत्व में उ०नि० श्री संजीव कुमार मय टीम द्वारा चैकिंग के दौरान अभि० सतीश पुत्र सूटी निवासी ग्राम शाहजहाँपुर थाना मोदीनगर ग०बाद को अवैध शस्त्र एक तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर के फफराना रोड मोदीनगर से आज दिनांक 18.06.22 समय 10.10 बजे गिरफ्तार किया गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु० अ० स० 358/2022 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया है। अभि० शातिर किस्म का अपराधी है। पूछताछ कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-**

- सतीश पुत्र सूटी निवासी ग्राम शाहजहाँपुर थाना मोदीनगर ग०बाद।

**बरामदगी का विवरण**

- एक तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर

**अभि० का आपराधिक इतिहास**

- 1-मु० अ० स० 855/21 धारा 302/120 बी भादवि थाना मोदीनगर गा०बाद।
- 2-मु० अ० स० 873/21 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना मोदीनगर गा०बाद।
- 3-मु० अ० स० 01/22 धारा 2/3 गैंगस्टर अभि० थाना मोदीनगर गा०बाद।
- 4-मु० अ० स० 358/22 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना मोदीनगर गा०बाद।

**गिरफ्तार करने वाली टीम -**

- 1-उ० नि० संजीव कुमार
- 2-कां० 2841 जौनी कुमार
- 3-कां० 57 विपिन कुमार

थाना लोनी पुलिस द्वारा नशे का कारोबार करने वाला 01 अभियुक्त मय 120 ग्राम  
नशीला पाउडर एल्प्राजोलम सहित गिरफ्तार

श्री मुनिराज जी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय द्वारा नशे का कारोबार करने वालों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गा0बाद एवं क्षेत्राधिकारी लोनी महोदय के निर्देशन में थाना लोनी पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नशे का कारोबार करने वाले शातिर किस्म के अभियुक्त रवि पुत्र हरिशंकर निवासी गली नं0 15 म0नं0 3096 मुकुन्द विहार करावल नगर दिल्ली को 120 ग्राम नशीला पाउडर नाजायज के साथ डी.एल.एफ पुस्ता रोड मोटरसाईकल एजेन्सी के पास चौकी क्षेत्र डीएलएफ से दिनांक 18.06.2022 को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त व आपराधिक इतिहास -

रवि पुत्र हरिशंकर निवासी गली नं0 15 म0नं0 3096 मुकुन्द विहार करावल नगर दिल्ली मु0अ0सं0 694/22 धारा 8/21 NDPS ACT थाना लोनी गा0बाद,

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1.SHO श्री अजय चौधरी थाना लोनी गा0बाद
- 2.उ0नि0 मईयादीन सिंह चौकी प्रभारी डीएलएफ थाना लोनी गा0बाद
3. है0का0 632 सुभय सिंह
4. का0 3768 कुलदीप

बरामदगी का विवरण:-

अभि0 के कब्जे से कुल 120 ग्राम नशीला पाउडर एल्प्राजोलम नाजायज बरामद।

थाना लोनी पुलिस द्वारा नशे का कारोबार करने वाला 01 अभियुक्त मय 110 ग्राम  
नशीला पाउडर एल्प्राजोलम सहित गिरफ्तार

श्री मुनिराज जी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय द्वारा नशे का कारोबार करने वालों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गा0बाद एवं क्षेत्राधिकारी लोनी महोदय के निर्देशन में थाना लोनी पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नशे का कारोबार करने वाले शातिर किस्म के अभियुक्त शाहरुख पुत्र जहीर नि0 जैन कालौनी अखाडा बाला 30 फुटा थाना लोनी जनपद गाजियाबाद को 110 ग्राम नशीला पाउडर नाजायज के साथ

निठौरा अंडर पास के पास चौकी क्षेत्र अशोक विहार से दिनांक 18.06.2022 को समय करीब 11.00 बजे गिरफ्तार किया गया । आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

**नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त व आपराधिक इतिहास -**

शाहरुख पुत्र जहीर नि० जैन कालौनी अखाडा बाला 30 फुटा थाना लोनी जनपद गाजियाबाद मु०अ०सं० 695/22 धारा 8/21 NDPS ACT थाना लोनी गा०बाद,

**गिरफ्तार करने वाली टीम:-**

- 1.SHO श्री अजय चौधरी थाना लोनी गा०बाद
- 2.उ०नि० अमित प्रताप सिंह चौकी प्रभारी अशोक विहार थाना लोनी गा०बाद
3. है०का० 1427 सुरजीत सिंह
4. का० 1443 सत्यदेव

**बरामदगी का विवरण:-**

**अभि० के कब्जे से कुल 110 ग्राम नशीला पाउडर एल्प्राजोलम नाजायज बरामद ।**